न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः–36/2018 प्रार्थना पत्र
1–श्री महेन्द्र कुमार पिता मिठूलाल खाब्या, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
2–श्री दिनेश पिता शांतिलाल खाब्या, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
––––––प्रार्थीगण

बनाम

1–श्रीमति राजतिलक पत्नि महेन्द्र कुमार खाब्या, उम्र बालिग निवासी बड़े मंदिर के पास, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2–श्रीमति पारस कंवर पत्नि नवलसिंह चारण, उम्र बालिग निवासी मुझरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
3–श्रीमति मंजु कंवर पत्नि शिवसिंह चारण, उम्र बालिग निवासी मुझरास हाल निवासी मकान नम्बर 5 व 6 न्यू वकील कॉलोनी, पुलिस लाईन के सामने–भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4–श्री प्रद्युमन सिंह पिता तेजसिंह चारण, उम्र बालिग निवासी मुझरास हाल मुकाम संस्कृत विधापीठ के पीछे, पानी की टंकी के सामने, महिला आश्रम रोड़, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5–श्री राजसिंह पिता तेजसिंह चारण, उम्र बालिग निवासी मुझरास हाल निवासी 105–दलेल भवन, पानी की टंकी के पास, महिला आश्रम रोड़, वार्ड नं. 24 तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
6–श्रीमति संतोष कंवर पत्नि प्रद्युमन चारण, उम्र बालिग निवासी मुझरास हाल मुकाम पानी की टंकी के सामने, महिला आश्रम रोड़, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
7–श्रीमति गिरिजा कंवर पुत्री तेजसिंह चारण, उम्र बालिग निवासी मुझरास हाल पत्नि श्री ज्ञानसिंह कविया, मालासेठ इंजिनियरिंग कॉलेज के पास, मु0 मालावास पो. उज्जेन(मध्यप्रदेश)
8–श्रीमति पिंकी कंवर उर्फ प्रभाकंवर उर्फ भावना कंवर पुत्री तेजसिंह चारण, उम्र बालिग निवासी मुझरास हाल निवासी सी.104, द्वारीकापुरी सेक्टर 14–हिरण मंगरी–उदयपुर तहसील उदयपुर
9–श्री मदनकंवर पत्नि सीताराम दान चारण, उम्र बालिग निवासी मुझरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
10–श्रीदलपत सिंह पिता सीताराम दान चारण, उम्र बालिग निवासी मुझरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
11–श्री उदयसिंह पिता सीताराम दान चारण, उम्र बालिग निवासी मुझरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
12–श्री प्रतापसिंह पिता राघवदान चारण, उम्र बालिग निवासी मुझरास तहसील व जिला भीलवाड़ा
13–श्रीपंकज कुमार पिता बालूराम जाजू, उम्र बालिग निवासी 53–काशीपुरी–भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा
14–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
–––––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः–25.2.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मुझरास पटवार हल्का मुझरास तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 कुल किता 9 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 31.1.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 9, 10, 11 व 12 के सम्मन बाद तामिल

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1, 2, 9, 10, 11 व 12 उपस्थित नहीं। संख्या 1, 2, 9, 10, 11 व 12 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी नहीं होने के कारण दिनांक 11.4.2018 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित गया। विपक्षी संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, व 13 की तलबी बाबत रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 3.5.2018 जारी किये गये। किन्तु रजिस्टर्ड ए/डी अभी तक प्राप्त नहीं हुये। जिसको करीब 7 माह से अधिक समय हो चुका हैं। किन्तु न तो रजिस्टर्ड ए/डी प्राप्त ही हुये है और न ही विपक्षी संख्या 3 ,4 ,5 8, व 13 उपस्थित नहीं हुये। अतः विपक्षी संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 13 को कितनी ही मर्तबा वत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही किये का आदेश दिनांक 9.1.2019 को पारित किया गया। विपक्षी संख्या 14 उपस्थित नहीं। विपक्षी 14 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के दिनांक 6.2.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 हत स्वीकार किया जाकर ग्राम मुझरास पटवार हल्का मुझरास़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 कुल किता 9 रकबा 7 बीघा 18 भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, गुरला को 800/–रूपये (आठ सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर श्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरग़ढ़ी किये जाने के लिये सीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा